



कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
छठवौं तल, षक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष 0522-2288656

फैक्स 0522-2288655

संख्या : 58-अनु०-प्रथम/गो०च०प०/16

दिनांक : जनवरी 25, 2016

विषय :- अवर अभियन्ताओं के अनिस्तारित मामलों को निस्तारित करने हेतु वर्ष 2014-15 तक की वॉछित गोपनीय चरित्र पंजिकाएँ/सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र एवं अवर अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल
वि०वि०नि०लि०/केसको, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वरिष्ठता कमांक 9250 तक के ऐसे समस्त अवर अभियन्ताओं की सूची संलग्न करते हुए यह कहना है कि उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि की लम्बित गोपनीय चरित्र पंजिकाएँ/सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्रों एवं वॉछित अवर अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि तुरन्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा करें ताकि अवर अभियन्ताओं के अनिस्तारित मामले यथा स्थायईकरण/समयबद्ध वेतनमान एवं प्रोन्नति के मामले यथाशीघ्र विचारित कर निस्तारित किये जा सकें, साथ ही जिन अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, उनका भी का भी उल्लेख किये जाने की कृपा करें।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि अवर अभियन्ताओं के अनिस्तारित मामले यथाशीघ्र निस्तारित किये जा सकें। अवर अभियन्ता के देय क्लेम का निस्तारण गोपनीय चरित्र पंजिका/सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र अथवा कार्यभार ग्रहण तिथि के अभाव में नहीं हो पाने की स्थिति में यदि अवर अभियन्ता द्वारा कोई न्यायिक वाद किया जाता है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने हेतु वर्ष 2004-05 तक एवं प्रोन्नति हेतु वर्ष 2005-06 तक ही मान्य है।

सूचनीय है कि कारपोरेशन(मु०) द्वारा यह आकांक्षा की गयी है कि वर्ष 2014-15 को देय होने वाली गोपनीय चरित्र पंजिका प्रत्येक दशा में तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाये ताकि भविष्य में होने वाले देयों का निस्तारण ससमय किया जा सके।

गोपनीय चरित्र पंजिका का निर्धारित प्रारूप सुगम संदर्भ हेतु कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर भी संलग्न सूची के साथ उपलब्ध है।

संलग्नक :- यथा उपरोक्त।

(सुधीर के० शाह)
मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

सं० 58-अनु०-प्रथम/ तददिनांक : जनवरी, 25 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
2. मुख्य अभियन्ता(मा०सं०), जल-विद्युत निगम/उत्पादन निगम लि०।
3. समस्त परियोजनाओं के मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- ✓ 5. अधिशासी अभियन्ता(वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे गोपनीय चरित्र पंजिका का निर्धारित प्रारूप एवं अवर अभियन्ताओं की संलग्न सूची के साथ इस पत्र को कारपोरेशन की वेब साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(सुधीर के० शाह)
मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

सं० 58-अनु०-प्रथम/ तददिनांक : जनवरी, 25 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रतिलिपि निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को सादर सूचनार्थ।

(सुधीर के० शाह)
मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)